न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—05/18 (2018/00018) वाद पत्र

उनवान

1—बरजीदेवी पत्नि सवाईराम जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1—नोसी पत्नि भैरूलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—शोभालाल पिता उदयराम जाट निवासी दुदालिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
3—शिवलाल पिता उदयराम जाट निवासी दुदालिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 02.09.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीया के मूल पुरूष सवाईराम पिता अमरचन्द जाट थे जिनके एक पुत्र भैरूलाल व तीन पुत्रीया क्रमशः बरजीदेवी (वादीया) व चान्दी व धापु थी। चान्दी फोत होने से शोभालाल व शिवलाल जायन्दा पुत्र है धापु लाऔलाद होकर फोत हो चुकी है। वादीया बरजीदेवी सवाईराम जाट की जायन्दा पुत्री है। जिसमे वादीया का भी जन्म से सवाईराम पिता अमरचन्द की जायदाद में हक व हिस्सा निहित है। वादीया के इस हिन्दु संयुक्त परिवार की मौरूषी, पैतृक कृषि आराजियात ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मै साबिक आराजी संख्या 5 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 6 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 156 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 157 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 308 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 309 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 1158 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 1159 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 1160 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1161 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1162 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 1163 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा भूमि साबिक खाता संख्या 291 पर स्थित थी जिसमे वादीया का 1/3 हिस्सा निहित था प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 तक साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित साबिक कृषि आराजियात में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुस्तैनी पैतृक एवं मौरूषी होने की वजह से हिन्दु उत्तराधिकार के तहत् वादीया का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित साबिक आराजियात में वादीया के पिता सवाईराम पिता अमरचन्द जाट के नाम तन्हा रूप से दर्ज रकार्ड थी जिनकी विरासत का नामान्तरण संख्या 489 तन्हा रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के पति भैरूलाल के नाम पर दर्ज कर दिया जबकि वादीया भी उक्त जायदाद में हक हिस्सा रखती है। राजस्व एजेन्सी ने गलत रूप से वादीया को अपने जायज हक से महरूम करने की गरज से बिना जांच के नामान्तरणकरण दर्ज कर दिया जो वादीया के मुकाबले शुरू से शुन्य है। वादीया 1/3 हिस्से की खातेदार है। ग्राम कोट का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिससे वादपत्र में अकिंत साबिक आराजियात के नवीन नम्बर 64 रकबा 0.76 है0, 65 रकबा 0.41 है0, 66 रकबा 0.47 है0, 392 रकबा 0.36 है0, 393 रकबा 0.36 है0, 394 रकबा 0.18 है0, 395 रकबा 0.13 है0, 396 रकबा 0.69 है0, 399 रकबा 0.70 है0, 771 रकबा 0.04 है0, 773 रकबा 0.03 है0, 774 रकबा 0.12 है0, 775 रकबा 0.02 है0, 776 रकबा 0.17 है0, 2685/772 रकबा 0.01 है0, 2684/772 रकबा 0.02 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 4.47 है0 भूमि जो खाता संख्या 249 पर दर्ज रेकार्ड है जो कायम हुए है। अतः वादीया की सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीया इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर 5 में अंकित आ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:52:47 IST
Reason: SelfAttested

जिनमे से आराजी संख्या 775 व आराजी संख्या 2684/772 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि के 1/3 हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार है और प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादीया का नाम भी उसके हक हिस्से 1/3 तक राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराया जावें इसी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी कमांक 1 इस आशय की जारी फरमाई जावे कि कलम नम्बर 5 में अंकित आराजियात किता 14 कुल रकबा 4.43 है0 भूमि को प्रतिवादीया किसी अन्य को रहन बय बक्षीश या अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नही करे, तथा वादीया को उसके हक एवं 1/3 हिस्से की आराजियात से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे, व वादीया के कब्जे काश्त में दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 23.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 फोरमल पक्षकार होने से कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है और इसी के साथ वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादीया सवाईराम की जायन्दा पुत्री है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार पैतृक सम्पति में वादीया का हक हिस्सा निहित है किन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में वादीया को ग्राम कोट तहसील रायपुर की वादवर्णित आराजियात कुल किता 16 कुल रकबा 4.47 है0 भूमि में 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 64 रकबा 0.76 है0, आराजी नम्बर 65 रकबा 0.41 है0, आराजी नम्बर 66 रकबा 0.47 है0, आराजी नम्बर 392 रकबा 0.36 है0, आराजी नम्बर 393 रकबा 0.36 है0, आराजी नम्बर 394 रकबा 0.18 है0, आराजी नम्बर 395 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 396 रकबा 0.69 है0, आराजी नम्बर 399 रकबा 0.70 है0, आराजी नम्बर 771 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 773 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 774 रकबा 0.12 है0, आराजी नम्बर 775 रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 776 रकबा 0.17 है0, आराजी नम्बर 2685/772 रकबा 0.01 है0, आराजी नम्बर 2684/772 रकबा 0.02 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 4.47 है0 भूमि में 1/3 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिकी जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:52:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–05 / 18 (2018 / 00018) वाद पत्र

उनवान

1–बरजीदेवी पत्नि सवाईराम जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1–नोसी पत्नि भैरूलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–शोभालाल पिता उदयराम जाट निवासी दुदालिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
3–शिवलाल पिता उदयराम जाट निवासी दुदालिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 64 रकबा 0.76 है0, आराजी नम्बर 65 रकबा 0.41 है0, आराजी नम्बर 66 रकबा 0.47 है0, आराजी नम्बर 392 रकबा 0.36 है0, आराजी नम्बर 393 रकबा 0.36 है0, आराजी नम्बर 394 रकबा 0.18 है0, आराजी नम्बर 395 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 396 रकबा 0.69 है0, आराजी नम्बर 399 रकबा 0.70 है0, आराजी नम्बर 771 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 773 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 774 रकबा 0.12 है0, आराजी नम्बर 775 रकबा 0.02 है0, आराजी नम्बर 776 रकबा 0.17 है0, आराजी नम्बर 2685 / 772 रकबा 0.01 है0, आराजी नम्बर 2684 / 772 रकबा 0.02 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 4.47 है0 भूमि में 1 / 3 हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 02.09.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

2.9.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.16 17:52:47 IST
Reason: SelfAttested